

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 1227/2021 अनुराग कुमार यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा जारी अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 15.02.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.03.2021 द्वारा श्री अनुराग कुमार यादव को माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन शहीद प्रमोद कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हसामपुर, पाटन, सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत पदस्थापित रखा गया था एवं दोहरे पदस्थापन के मददेनजर श्री राकेश खारडिया, प्रधानाचार्य को आदेशों की प्रतीक्षा में करते हुए मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया गया था।

श्री राकेश खारडिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन राउमावि शामदा मुंडावर/ राउमावि कंचनपुर श्रीमाधोपुर सीकर/ राउमावि कुंडवा देवगढ राजसमंद अथवा राउमावि कालेसरिया देवगढ राजसमंद में प्रधानाचार्य पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्री खारडिया के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री राकेश खारडिया का पदस्थापन/अन्तरिम समायोजन अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि कालेसरिया (222735) किया जाता है।



(सौरभ स्वामी)

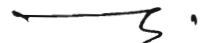
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/अनुरागकुमारयादव/1227/2021 दिनांक: 24.03.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरू/उदयपुर संभाग, ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर/राजसमंद।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर/राजसमंद।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)